अनुदान संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 32 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2783,21,00		3376,66,00	3246,93,18	-129,72,82
पूरक	Supplementary	593,45,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					122,53,70
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	322,97,00		809,19,00	784,36,67	-24,82,33
पूरक	Supplementary	486,22,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,15

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹12972.82 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹59345.00 लाख की पूरक अनुदान का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹12972.82 lakhs) constituted 22 percent of the supplementary grant of ₹59345.00 lakhs obtained in December, 2024 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	7651.00	7195.10	6992.89	-202.21
पु.	R.	-455.90			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	17446.00			
पू.	S.	237.00	17124.00	16719.74	-404.26
पु.	R.	-559.00			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	107875.00			
पू.	S.	3030.00	107342.80	107342.79	-0.01
पु.	R.	-3562.20			
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	144104.00			
पू.	S.	55900.00	192277.28	192277.27	-0.01
पु.	R.	-7726.72			

(I) ₹10.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹10.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन एवं प्रशासन – ऋण वसूली न्यायाधिकरण" के अंतर्गत ₹17446.00 लाख के

(II) Under Major Head "2070" - "Direction and Administration - Debts Recovery Tribunals (DRTs)" -

मूल प्रावधान को ₹237.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17683.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹963.26 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरने, किराए, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

the original provision of ₹17446.00 lakhs was augmented to ₹17683.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹237.00 lakhs. However, there was a saving of ₹963.26 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards rent, rates and taxes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थान – उद्योगों/कंपनियों को सहायता – डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन" के अंतर्गत ₹144100.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹55900.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढाकर ₹200000.00 लाख कर दिया गया। तथापि, जो बैंकों से दावा संबंधी डेटा की प्राप्ति न होने या अधूरी प्राप्ति के कारण ₹7722.73 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(III) Under Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to Industries/ Companies - Promotion of Digital Payments" - the original provision of ₹144100.00 lakhs was augmented to ₹200000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹55900.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7722.73 lakhs - due to non-receipt or incomplete receipt of claim data from banks.

(IV) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – वित्तीय सेवाएं विभाग" के अंतर्गत ₹658.11 लाख की बचत (₹7651.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और अनुमोदनों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Financial Services" - saving of ₹658.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7651.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts and non-release of funds owing to non-finalisation of approvals.

(V) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन – अटल पेंशन योजना" के अंतर्गत ₹5595.00 लाख की बचत (₹52100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम नामांकन की वजह से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रोत्साहन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pensions under Social Security Schemes - Atal Pension Yojana (APY)" - saving of ₹5595.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52100.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards incentive to Pension Fund Regulatory and Development Authority owing to less enrolments.

2. उपर्युक्त बचतें (₹2033.80 लाख) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन – वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं। जैसा कि ₹3030.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित

2. The above savings were partly (₹2033.80 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3030.00 lakhs under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pensions under Social Security Schemes - Payment to Life Insurance

कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2033.79 लाख था।

Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens". Actual excess, however, was ₹2033.79 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2482.33 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹48622.00 लाख के पूरक अनुदान का 5 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2482.33 lakhs) constituted 5 percent of the supplementary grant of ₹48622.00 lakhs obtained in December, 2024 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	1176.00			
पू.	S.	3629.00	4805.25	2335.02	-2470.23
पु.	R.	0.25			
मुख्य शीर्ष "4885"	Major Head "4885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Other Capital Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	2.00			
पू.	S.	44992.00	50000.00	50000.00	..
पु.	R.	5006.00			
मुख्य शीर्ष "6885"	Major Head "6885"				
उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण	Other Loans to Industries and Minerals				
मू.	O.	5000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5000.00			

(I) ₹5009.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹5000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "6885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए ऋण गारंटी योजना" के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4070" – "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय– सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹1176.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3629.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4805.00 लाख तक बढ़ाया गया, तथापि, जो खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से सभी डीआरएटी/डीआरटी में अप्रचलित/असुरक्षित आईटी वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के प्रतिस्थापन के लिए वस्तुओं की खरीद न किए जाने के कारण ₹2469.98 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

4. उपर्युक्त बचतें (₹5007.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "4885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय औद्योगिक वित निगम की शेयर पूंजी में अंशदान" के अंतर्गत ₹44992.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) Provision of ₹5009.00 lakhs remained wholly unutilized under ten heads, of these ₹5000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6885"- "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and other Undertaking - Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions" - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) Under Major Head "4070" - "Direction and Administration - Secretariat-General Services" - the original provision of ₹1176.00 lakhs was augmented to ₹4805.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3629.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2469.98 lakhs - due to non-procurement of items for replacement of obsolete/ unsecured IT items and infrastructure in all DRATs/DRTs owing to non-finalisation of procurement process.

4. The above savings were partly (₹5007.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-apppriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹44992.00 lakhs under Major Head "4885" - "Investments in Industrial Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)".